

2017/70

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)
मुकाम

अज अदालत कलक्टर,

नागौर

प्रार्थीगण
1. गुलाबसिंह राठौड़ पुत्र सवाईसिंह
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह
जाति राजपूत निवासीगण उपादडा तहसील लाडनू हाल निवासीगण जयपुर जिला जयपुर जरिये मुख्तियार नरेन्द्रसिंह पुत्र रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 9 लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर


बनाम

अप्रार्थी

1. मधुकवर पुत्री प्रेमसिंह पत्नी मुरलीमनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी कसुम्बी उपादडा हाल निवासी बापूगांव तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. उम्मेदसिंह पुत्र सवाईसिंह
3. हरिसिंह पुत्र सवाईसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह? जातियान राजपूत निवासीगण कसुम्बी तहसील लाडनू जिला नागौर
5. श्रीमान् तहसीलदार लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या... 34 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.04.17	<p>प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू के यहां विचाराधीन राजस्व वाद संख्या-13/2016 गुलाबसिंह बनाम मधुकवर एवं राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 10/2016 गुलाबसिंह बनाम मधुकवर को अन्वयत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.05.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, नागौर</p>	<p>नोटिस प्रेषित 25/4/17 अप्रार्थी ए. 1 का रजिस्ट्रार व मधुकवर साधारण 15/5 ले TDR 15/5</p>
11 5/17	<p>वकूलाय उपस्थित। श्रीमान् पी.ओ. साहब का तलाक़ हो जाने के कारण इन्फाल्ट पत्रावली दि. 5.6.17 को पेश हो।</p>	
29 5/17	<p>वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रजावली आज पेशी पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रजावली के मध्य शरीनाभा हो जाने से अब वह इस प्रकरण को चलाना नहीं चाहते का कथन करते हुए उक्त प्रकरण को जरिये Not Press करा देने करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शांति है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा Not Press करने के उपाय पर शांति किया जाता है। अतः शरीनाभा की एक पुरी अधिरक्ष न्यायालय को शरीनाभा प्रिजनाई जावे। पत्रावली वाद आज रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रिजनाई रजिस्ट्रार नम्बर से कम हो।</p>	<p>Not Press [Signature]</p>



(कुमार वकूल जौलम)
कलक्टर, नागौर